

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2015/४३७०-८० जयपुर, दिनांक २५.६.१५
जिला कलेक्टर, (आ.प्र. एवं सहायता)
बाड़मेर।

विषय:- अभाव सम्वत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प. 35(44) (1) आ.प्र. एवं स.आ./2015/2533 दिनांक 9.6.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1 (1) (4) आ.प्र.स.आ./सामान्य / 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव सम्वत् 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत पशु शिविर जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है, उन पशुशिविरों के पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक 9.6.2015 के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (स्पेशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जारी दिनांक से 30 जून, 2015 तक पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :—

तहसील—गडरारोड

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु		
				बड़े	छोटे	योग
1.	बालेबा	बालेबा तृतीय	ग्राम पं. बालेबा	100	0	100
2.	हरसाणी	तुडबी द्वितीय	ग्राम पं. हरसाणी	200	0	200
3.	चेतरोड़ी	सेहला प्रथम	ग्राम पं.चेतरोड़ी	200	0	200
4.	चेतरोड़ी	सेहला द्वितीय	ग्राम पं.चेतरोड़ी	100	0	100
5.	चेतरोड़ी	चेतरोड़ी प्रथम	ग्राम पं.चेतरोड़ी	200	0	200
6.	चेतरोड़ी	चेतरोड़ी द्वितीय	ग्राम पं.चेतरोड़ी	200	0	200
7.	चेतरोड़ी	कुपाणियो की ढाणी बाहला	ग्राम पं.चेतरोड़ी	100	0	100
8.	गिराब	गिराब प्रथम	ग्राम पं.गिराब	200	0	200
9.	गिराब	गिराब द्वितीय	ग्राम पं.गिराब	200	0	200
10.	गिराब	कुबड़ीया	ग्राम पं.गिराब	200	0	200
11.	रावतसर	उत्तर सेलोडिया सालमसिंह की बस्ती	ग्राम पं.रावतसर	100	0	100
12.	तानूमानजी	ताणूरावजी प्रथम	ग्राम पं. ताणूमानजी	200	0	200
13.	तानूमानजी	सोलकिया प्रथम	ग्राम पं. ताणूमानजी	200	0	200
14.	खलीफे की बावड़ी	पाबूसरी तृतीय राजपूत बस्ती	ग्राम पं. खलीफे की बस्ती	100	0	100

15.	राणासर	देतानी द्वितीय	ग्राम पं. राणासर	100	0	100
16.	राणासर	देतानी तृतीय	ग्राम पं. राणासर	100	0	100
17.	तामलोर	तामलोर	ग्राम पं. तामलोर	200	0	200
18.	तामलोर	पनेला मेघवाल बस्ती	ग्राम पं. तामलोर	100	0	100
19.	तामलोर	अमी का पार (कामल का पार)	ग्राम पं. तामलोर	100	0	100
20.	सून्दरा	सून्दरा प्रथम	ग्राम पं. सून्दरा	200	0	200
21.	सून्दरा	सून्दरा द्वितीय	ग्राम पं. सून्दरा	200	0	200
22.	रोडियाला	रामडोकर प्रथम	ग्राम पं. रोडियाला	100	0	100
23.	रेडाणा	देवडों की बस्ती	ग्राम पं. रेडाणा	200	0	200
24.	रतरेडी कला	डाभड़	ग्राम पं. रतरेडी कला	150	0	150
25.	रतरेडी कला	सेला	ग्राम पं. रतरेडी कला	100	0	100
26.	बाण्डासर	बाण्डासर द्वितीय	ग्राम पं. बाण्डासर	200	0	200
27.	रोहिडी	मोती की बेरी	ग्राम पं. रोहिडी	150	0	150
28.	जैसिन्धर स्टेठो	अकली	ग्राम पं. जैसिन्धर स्टेठो	100	0	100
29.	जैसिन्धर स्टेठो	हमीराणी	ग्राम पं. जैसिन्धर स्टेठो	150	0	150
30.	बाण्डासर	मंगलियों का वास	ग्राम पं. बाण्डासर	200	0	200
31.	हरसाणी	तुडबी प्रथम	ग्राम पं. हरसाणी	200	0	200
32.	हरसाणी	मगरा प्रथम	ग्राम पं. हरसाणी	200	0	200
33.	हरसाणी	हरसाणी प्रथम	ग्राम पं. हरसाणी	200	0	200
34.	बालेबा	बालेबा प्रथम	ग्राम पं. बालेबा	200	0	200
35.	बालेबा	चारणे की ढाणी प्रथम	ग्राम पं. बालेबा	200	0	200
36.	बालेबा	देदडीयार प्रथम	ग्राम पं. बालेबा	200	0	200
37.	ताणूमानजी	ताणूमानजी तृतीय मूलसिंह की ढाणी	ग्राम पं. ताणूमानजी	100	0	100
38.	ताणूमानजी	मिरुवाणी द्वितीय	ग्राम पं. ताणूमानजी	100	0	100
39.	ताणूमानजी	जानसिंह की बेरी प्रथम	ग्राम पं. ताणूमानजी	200	0	200
40.	खारवी	कुम्हारों की ढाणी प्रथम	ग्राम पं. खारची	100	0	100
41.	खारवी	मोसेरी प्रथम	ग्राम पं. खारची	200	0	200
42.	गिराब	शास्त्री गांव प्रथम	ग्राम पं. गिराब	200	0	200
43.	आसाडी	चाहडीयाली प्रथम	ग्राम पं. आसाडी	200	0	200
44.	आसाडी	आसाडी सिधियान	ग्राम पं. आसाडी	200	0	200
45.	शहदाद का पार	कुम्हारों का पार प्रथम	ग्राम पं. शहदाद का पार	100	0	100
46.	खबडाला	पते का पार प्रथम	ग्राम पं. खबडाला	100	0	100
47.	खलीफे की बावड़ी	खच्चर खड़ी प्रथम	ग्राम पं. खलीफे की बावड़ी	100	0	100
48.	खलीफे की बावड़ी	सईदाद की बेरी	ग्राम पं. खलीफे की बावड़ी	100	0	100
49.	खुडाणी	खुडाणी तृतीय	ग्राम पं. खुडाणी	200	0	200
50.	रावतसर	रावतसर प्रथम	ग्राम पं. रावतसर	200	0	200

22

51.	रोहिडाला	मीनाणी	ग्राम पं. रोहिडाला	100	0	100
52.	रोहिडी	रोहिडी द्वितीय	ग्राम पं. रोहिडी	200	0	200
53.	रेडाणा	रेडाणा	ग्रा.पं. रेडाणा	200	0	200
54.	रेडाणा	निम्बली	ग्रा.पं. रेडाणा	100	0	100
55.	गडरारोड	चारणों का पाड़ा	ग्राम पं. गडरारोड	200	0	200
56.	बिजावल	हापिया (गड्स)	ग्रा.पं. बिजावल	100	0	100
			योग	8850	0	8850

तहसील-शिव

57.	कोटडा	पुराना पशु शिविर का बाड़ा कोटडा	ग्राम पं. कोटडा	200	0	200
58.	कोटडा	रा.उ.प्रा.वि. के पास जालीला	ग्राम पं. कोटडा	200	0	200
59.	कोटडा	रा.उ.प्रा.वि. के पास राणेजी की बस्ती	ग्राम पं. कोटडा	200	0	200
60.	निम्बला	निम्बला गांव तलिया	ग्राम पं. निम्बला	200	0	200
61.	हाथीसिंह का गांव	हाथीसिंह का गांव ग्रा.पं. भवन के पास	ग्राम पं. हाथीसिंह का गांव	200	0	200
62.	हाथीसिंह का गांव	कुम्हारों की ढाणी जसे का गांव	ग्राम पं. हाथीसिंह का गांव	200	0	200
63.	हाथीसिंह का गांव	चक भैंसका बाड़ी के पार के पास	ग्राम पं. हाथीसिंह का गांव	190	10	200
64.	बालासर	बालासर	ग्रा.पं. बालासर	190	10	200
65.	बालासर	सुवाणा	ग्रा.पं. बालासर	200	0	200
66.	झापलीकला	झाफलीकला तलिया	ग्राम पं. झापलीकला	200	0	200
67.	झापलीकला	भवरीसर शरणार्थी पाड़ा.	ग्राम पं. झापलीकला	200	0	200
68.	झापलीकला	नेगरड़ा हासम की बस्ती	ग्राम पं. झापलीकला	200	0	200
69.	मुगेरिया	मुगेरिया ग्राम पंचायत भवन के पास	ग्राम पं. मुगेरिया	200	0	200
70.	मुगेरिया	रा.उ.प्रा.वि. रासारातला	ग्राम पं. मुगेरिया	200	0	200
71.	मुगेरिया	मण्डलिया तलिया	ग्राम पं. मुगेरिया	200	0	200
72.	मुगेरिया	रा.उ.प्रा.वि. लक्ष्मीपुरा के पास	ग्राम पं. मुगेरिया	200	0	200
73.	मुगेरिया	तलिया भीमडा	ग्राम पं. मुगेरिया	200	0	200
		योग :-		3380	20	3400
		कुल योग:-		12230	20	12250

1/2

विभागीय पत्र क्रमांक 4180-203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:-

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32-3 / 2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह -शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-
 - (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
 - (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
 - (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
 - (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-
 - (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो



- (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
 (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
 (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
 (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
 (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
 (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
 (xii) संस्था के प्रबन्धक / अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
 (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
 (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।
6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएः—
 क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
 ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
 ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
 घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय—समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को

३३

करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।

14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित कर्मचारी/आधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

23. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित किये जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलियां खोली जाएंगी एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।

24. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नॉर्म के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत् 2071 में खरीफ फसल खराबे के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
१५/१६/१५
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशेष सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अति-मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्मानीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ०प्र० एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव